न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
ग्रामीण सेवा शिविर 2025 धीरवास

अनुवान भगवानाराम जाखड़ बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –586/2025
निर्णय दिनांक 22/12/25

भगवानाराम जाखड़ पुत्र मालचन्द जाखड़ जाति जाट निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 धीरवास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 482 के खसरा नं. 2934/409 तादादी 0.0506 है0, खसरा नं. 410 तादादी 3.4394 है0, रोही ग्राम धीरवास तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र मालचन्द दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम भगवानाराम जाखड़ पुत्र मालचन्द जाखड़ है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र मालचन्द के स्थान पर भगवानाराम जाखड़ पुत्र मालचन्द जाखड़ किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः खाता संख्या 482 के खसरा नं. 2934/409 तादादी 0.0506 है0, खसरा नं. 410 तादादी 3.4394 है0, रोही ग्राम धीरवास तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम भगवानाराम पुत्र मालचन्द Delete कर इसके स्थान पर भगवानाराम जाखड़ पुत्र मालचन्द जाखड़ अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 धीरवास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)